दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 6738/2012 और सि.वि.सं. 17689/2012

निर्णय तिथि: 27 सितंबर, 2013

धीरज भट्ट ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अनुज अग्रवाल और श्री गौरव खन्ना, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री बी. वी. निरेन, केंद्र सरकार के स्थायी परामर्शदाता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल,
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा,

न्या. गीता मित्तल, (मौखिक)

1. रिट याचिकाकर्ता 11 सितंबर, 2012 के एक आदेश द्वारा व्यथित है, जिसमें प्रत्यर्थीयों ने सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2010 ("सी.वि.प्र.परीक्षा .-2010" इसके बाद) में उप-निरीक्षक/जी. डी. के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता 3 मई, 2010 के उस आदेश से भी व्यथित है जिसमें 1 अप्रैल, 2010 से 15 अप्रैल, 2010 तक 10 दिनों

की उसकी स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को रद्द कर दिया गया था और अवधि को अर्जित अवकाश के रूप में नियमित कर दिया गया था। उसी आदेश द्वारा, प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता को 16 अप्रैल, 2010 को बिना वेतन और भत्तों के आधे वेतन के अवकाश के रूप में माना है।

2. तत्काल रिट याचिका को जन्म देने वाले तथ्य संकीर्णता की तरफ झुके हुए हैं।

3. याचिकाकर्ता को 2 फरवरी, 2006 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (इसके बाद "के.रि.पु.") के साथ कांस्टेबल/बीयूजी के रूप में भर्ती किया गया था और जुलाई, 2007 से वह डोडा, जम्मू और कश्मीर में के.रि.पु. बटालियन के साथ तैनात था। के.रि.पु.के साथ चार साल की कर्मठ सेवा पूरी करने पर, याचिकाकर्ता ने उप-निरीक्षक/जी. डी. के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा-2010 ('सी.वि.प्र.प.') देने के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने फरवरी, 2012 में परीक्षा दी, लेकिन वह उत्तीर्ण नहीं हो सका।

4. याचिकाकर्ता 2 सितंबर, 2012 को आयोजित परीक्षा में फिर से उपस्थित हुआ, जिसमें उसे योग्य घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त की और इसलिए, उसके अनुसार नियुक्ति के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। हालाँकि, 12 सितंबर, 2012 को याचिकाकर्ता को 11 सितंबर, 2012 को एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि उक्त सी.वि.प्र.परीक्षा

द्वारा से उप-निरीक्षक/जी. डी. के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि उनकी सेवा पुस्तिका से पता चला है कि 16 अप्रैल, 2010 को एक दिन का "आधा वेतन (एल. एच. पी.)/गैर-योग्यता सेवा (एन. क्यू. एस.)" था।

5. याचिकाकर्ता ने डी. आई. जी. पी. (भर्ती) से उनके हस्तक्षेप और उदारता का अनुरोध किया। हालांकि, वह निवारण प्राप्त करने में असफल रहे। अंत में 16 सितंबर, 2012 को याचिकाकर्ता ने के.रि.पु. के महानिदेशक को एक विस्तृत ई-मेल भेजकर व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया और तथ्यों के और 15 अप्रैल, 2010 को आकस्मिक अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में असमर्थता के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए उनके हस्तक्षेप की मांग की ।

6. चूंकि इस पर कोई अनुकूल विचार नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि) सं.6144/2012 दायर कर प्रत्यर्थीयों के खिलाफ निर्देश और 11 सितंबर, 2012 के आदेश को रद्द करने की मांग की। हालाँकि, इस रिट याचिका को 1 अक्टूबर, 2012 को इस कारण से नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना पड़ा कि याचिकाकर्ता ने तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू होने वाले नियमों को संलग्न नहीं किया था।

7. हम पाते हैं कि जहाँ तक याचिकाकर्ता को स्वीकृत आकस्मिक अवकाश का संबंध है, यह निर्विवाद है इस बात पर भी विवाद नहीं करते हैं कि

याचिकाकर्ता को 15 अप्रैल, 2010 की शाम को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बटालियन को रिपोर्ट करना आवश्यक था। हालांकि, वह ऐसा नहीं कर सके।

8. जहाँ तक याचिकाकर्ता की देर से रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का संबंध है, याचिकाकर्ता ने 16 सितंबर, 2012 को अपने ई-मेल में इसकी व्याख्या की है। प्रासंगिक भाग को उपयोगी रूप से देखा जा सकता है जो निम्नानुसार है -

> “यहाँ, मैं एक दिवसीय अर्धवेतन अवकाश (एन. क्यू. एस.) का कारण बताना चाहूँगा। वास्तव में, मैं अप्रैल, 2010 में 10 दिनों की आकस्मिक अवकाश पर गया था और बी. एन. मुख्यालय, जम्मू में शाम के क्रमांक कॉल द्वारा 15-04-2010 पर रिपोर्ट करना था। मैं 14-04-2010 की शाम को अपने गृहनगर से निकला और 15-04-2010 की रात लगभग 3 बजे ऋषिकेश (उत्तराखंड) पहुंचा, लेकिन कुंभ मेला 2010 के कारण अंतर-राज्यीय सार्वजनिक परिवहन बसों की भारी कमी थी और अन्य सड़क परिवहन हरिद्वार में कुंभ मेले के कारण भारी यातायात जाम में फंस गए थे। मैंने यातायात के संभावित साधन प्राप्त करने की पूरी कोशिश की ताकि मैं ताकि मैं शाम तक जम्मू पहुंच सकूं, लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार में पूरी तरह से यातायात की गड़बड़ी थी क्योंकि उस दिन 10 मिलियन (1 करोड़) से अधिक लोग गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हुए थे। कई घंटों तक व्यर्थ प्रयास करने के बाद, मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा था कि मैं 15-04-2010 पर अनारक्षित

> सामान्य डिब्बे में ट्रेन से यात्रा करूं। मैंने हर संभव साधन जुटाने की पूरी कोशिश की।
>
> उस दिन मैं हरिद्वार से ट्रेन (हेमकुंट एक्सप्रेस) में चढ़ा (उस दिन यह ऋषिकेश के बजाय हरिद्वार से शुरू हुई थी - यह इसका वास्तविक प्रारंभिक स्टेशन था) और यह हरिद्वार से रवाना होने के समय से 3 घंटे देरी से चल रही थी और जब यह जम्मू पहुंची, तब तक यह 9 घंटे देरी से चल रही थी। जम्मू पहुंचने का इसका वास्तविक समय सुबह 04:30 बजे है, लेकिन यह 16-04-2010 को दोपहर 01:30 बजे जम्मू पहुंची। मुझे अपने अवकाश पास के पीछे भी यह देरी से पहुंचने का समय लिखा मिला। इसके बाद मैंने उसी दिन दोपहर 2:30 बजे 76 बीएन मुख्यालय, चन्नी-हिम्मत, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में रिपोर्ट किया।
>
> मैं इस महान बल का एक बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार सैनिक हूं और मैंने अपने छह साल के कार्यकाल में कभी चूक नहीं की, मैंने कभी भी अपनी अवकाश से देर से रिपोर्ट नहीं की, कभी भी अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, और हमेशा इस महान बल से अपनी जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को कुशलता से पूरा किया और पूरा किया और मैं अपने पूरे करियर में इसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।"

9. याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारी द्वारा रेलवे स्टेशन पर दर्ज किए गए पृष्ठांकन रिकॉर्ड को भी हमारे सामने रखा है। स्टेशन जब वह ट्रेन (हेमकुंट एक्सप्रेस) में सवार हुए। याचिकाकर्ता द्वारा समझाई गई परिस्थितियाँ निश्चित

रूप से उसके नियंत्रण से बाहर थीं। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की सच्चाई और प्रामाणिकता पर संदेह करने हेतु कुछ भी ऐसी चीज बताने में असमर्थ हैं।

10. जहां तक मामले में प्रत्यर्थीयों द्वारा कार्यवाही करने के तरीके का सवाल है, हम इस तथ्य पर गौर करने के लिए बाध्य हैं कि जहां तक याचिकाकर्ता की आधे दिन की अनुपस्थिति का सवाल है, प्रत्यर्थीयों ने 3 मई, 2010 को आदेश पारित किया। यह आदेश याचिकाकर्ता की पीठ पीछे पारित किया गया। यह आदेश याचिकाकर्ता की पीठ पीछे पारित किया गया था प्रत्यर्थीयों ने न केवल याचिकाकर्ता की आधे दिन की अनुपस्थिति को बिना वेतन और भत्ते के आधे वेतन वाली अवकाश माना, बल्कि प्रत्यर्थीयों ने याचिकाकर्ता को स्वीकृत 10 दिनों की आकस्मिक अवकाश भी रद्द कर दी और 1 अप्रैल, 2010 से 15 अप्रैल, 2010 तक की अवधि को अर्जित अवकाश माना।

11. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 3 मई, 2010 का आदेश याचिकाकर्ता को कभी नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी आकस्मिक अवकाश को अर्जित अवकाश में बदलने का कोई अनुरोध नहीं किया था।

12. यह तथ्य कि आदेश को सूचित नहीं किया गया था, 11 सितंबर, 2012 के विवादित आदेश पर किए गए पृष्ठांकन द्वारा समर्थित है, जिसमें संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को 3 मई, 2010 के आदेश को संप्रेषित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा इस ओर से याचिकाकर्ता के कथन पर प्रत्यर्थीयों

द्वारा जवाबी शपथ पत्र में कोई विवाद नहीं है। हमारे सामने इस बात का कोई सबूत नहीं रखा गया है कि यह आदेश कभी याचिकाकर्ता को दिया गया था।

13. जहाँ तक याचिकाकर्ता की अवकाश को आकस्मिक अवकाश से अर्जित अवकाश में बदलने की प्रत्यर्थीयों की क्षमता का संबंध है, सी. सी. एस. (अवकाश नियम) अध्याय II का नियम 7- की सामान्य शर्तें प्रासंगिक हैं और निम्नानुसार हैं:-

> **"7. अवकाश का अधिकार**
> (1) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
> (2) जब लोक सेवा की अनिवार्यताओं की आवश्यकता होती है, तो इसे देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के अवकाश को अस्वीकार या रद्द किया जा सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के लिखित अनुरोध के अलावा उस प्राधिकरण के लिए देय और आवेदन किए गए अवकाश के प्रकार को बदलने के लिए खुला नहीं होगा।"
>
> (हम जोर देते हैं)

14. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीयों के पास याचिकाकर्ता को स्वीकृत अवकाश को रद्द करने या उसे अर्जित अवकाश में बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

15. जहाँ तक याचिकाकर्ता की 15 अप्रैल, 2010 को रिपोर्ट करने में असमर्थता का संबंध है, हम पाते हैं कि यह सही था और कारणों से पूरी तरह

से उसके नियंत्रण से बाहर था। जब परिस्थितियों द्वारा बीच में हस्तक्षेप हुआ और उसे अपने गं।तव्य तक पहुंचने के लिए कोई परिवहन नहीं मिला, याचिकाकर्ता ने अपना गृह नगर को छोड़ दिया था और अपनी पोस्टिंग के स्थान पर जा रहा था।

16. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थीयों ने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति को बिना वेतन और भत्तों के आधे वेतन अवकाश के रूप में नियमित कर दिया है। प्रत्यर्थीयों ने यह निर्देश नहीं दिया है कि इसे याचिकाकर्ता की सेवा में व्यवधान या बाधा के रूप में माना जाएगा। यह भी कोई निर्णय नहीं है कि इस तरह की अनुपस्थिति याचिकाकर्ता को सी.वि.प्र.परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अयोग्य बना देती है जिसके लिए निरंतर सेवा की न्यूनतम अवधि की आवश्यकता है। प्रत्यर्थीयों ने अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने का आदेश पारित किया, दी गई परिस्थितियों में, ऐसी अनुपस्थिति याचिकाकर्ता के सी.वि.प्र.परीक्षा में उपस्थित होने और सफल पाए जाने पर नियुक्ति के अधिकार के रास्ते में नहीं आ सकती थी।

17. स्वामी हैंडबुक 2010 के पांचवें अध्याय में की गई टिप्पणियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। *"अनधिकृत अनुपस्थिति-सेवा में विराम"* प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> "1. अवकाश के अनुदान के अंतर्गत न आने वाली ड्यूटी से इच्छित अनुपस्थिति को सभी उद्देश्यों के लिए अमान्य

> माना जाएगा, जैसे वेतन वृद्धि, अवकाश और पेंशन। बिना अवकाश के ऐसी अनुपस्थिति, जो अकेले हो और किसी प्राधिकृत अवकाश के क्रम में न हो, सेवा में व्यवधान का कारण बनेगी, जिसके कारण पेंशन के उद्देश्य से पिछली सेवा जब्त हो जाएगी और पेंशन के लिए पिछली सेवा की गणना करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समन्वय की आवश्यकता होगी। पेंशन के लिए ऐसी अवकाश पर छूट को स्वप्रेरणा से माना जाना चाहिए और इसे अपवादात्मक और गंभीर परिस्थितियों को छोड़कर, स्वाभाविक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
>
> 2. अवकाश के बाद अनधिकृत अनुपस्थिति को उसके आधे वेतन अवकाश खाते में से काट लिया जाएगा, यदि कोई हो, तो उसे असाधारण अवकाश माना जाएगा। हालांकि, वह किसी भी अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा।
>
> 3. कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति या अवकाश जारी रखने के सभी मामले, एक सरकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देंगे, इसे कदाचार के रूप में माना जाएगा।"

18. प्रत्यर्थीयों के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.वी. निरेन ने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अवकाश नियम) के नियम 25 पर भरोसा किया। हम पाते हैं कि नियम 25 पर भरोसा करने से प्रत्यर्थीयों को कोई मदद नहीं मिली। यह नियम भी प्राधिकरण को अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारी को अवकाश देने या अवकाश बढ़ाने या अवकाश समाप्त होने के बाद उसकी अनुपस्थिति की

अवधि को उसके अवकाश खाते से इस तरह से कम करने की अनुमति देता है जैसे कि वह अवकाश देय होने तक आधी वेतन वाली अवकाश हो। नियम 25 के उप-नियम 2 में विशेष रूप से कहा गया है कि वेतन समाप्त होने के बाद ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होता है। तथ्यों के उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीयों ने भी याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति को जानबूझकर नहीं माना और उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। नियम 25 के उप-नियम 2 में विशेष रूप से कहा गया है कि अवकाश की समाप्ति के बाद कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थिति एक सरकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है। तथ्यों के उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीयों ने भी याचिकाकर्ता के अनुपस्थितिको जानबूझकर नहीं माना और उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है।

19. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थीयों ने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति को सही माना है जब उन्होंने इसे याचिकाकर्ता को स्वीकार्य अनुमति के खिलाफ समायोजित किया है। यह स्वीकार किया जाता है कि यह जानबूझकर अनुपस्थिति नहीं थी जिसके कारण नियमों में निर्धारित परिणामों को भुगतने पड़ते। इसे कदाचार के रूप में नहीं माना गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश भी पारित नहीं किया गया है कि इस अवधि को

सेवा में विराम के रूप में माना जाए। एक ही तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

20. जहां तक भागीदारी और सी.वि.प्र.परीक्षा के परिणाम का संबंध है, हम पाते हैं कि परीक्षा की योजना के अनुसार, प्रत्यर्थीयों ने पहले चरण के रूप में सेवा रिकॉर्ड की जांच अनिवार्य कर दी है; दूसरे चरण के रूप में लिखित परीक्षा; तीसरे चरण के रूप में शारीरिक माप; चौथे चरण के रूप में शारीरिक दक्षता परीक्षण और पांचवें चरण के रूप में चिकित्सा परीक्षा।

21. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने सी.वि.प्र.परीक्षा -2012 के लिए चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सफल हुए है। इसके बाद ही प्रत्यर्थीयों ने उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने 16 अप्रैल, 2010 को आधे दिन की अनुपस्थिति में को गलत तरीके से सेवा में अवकाश माना और उन्हें उक्त परीक्षा में बैठने के योग्य माना।

22. प्रत्यर्थीयों का रुख एक अन्य कारण से अनुचित है क्योंकि उक्त सी.वि.प्र.परीक्षा के लिए योजना के पैरा 3 का संबंध है, प्रत्यर्थीयों ने निम्नलिखित पात्रता शर्त निर्धारित की है।

> “3. पात्रता की शर्तें:
>
> XXX XXX XXX
>
> क) सेवा योग्यता : उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण सहित चार साल सेवा पूरे करने चाहिए थे।”

23. परीक्षा की योजना के अनुसार आवश्यकता यह है कि उम्मीदवार को बुनियादी प्रशिक्षण सहित चार साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। शर्त यह नहीं है कि एक उम्मीदवार सी.वि.प्र.परीक्षा से ठीक पहले चार साल की निरंतर सेवा पूरी की होनी चाहिए। इस मामले में इस अंतर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता 2 फरवरी, 2006 को बल में शामिल हुआ था और इसलिए, संबंधित समय पर छह साल से अधिक की सेवा थी।

24. हम पाते हैं कि प्रत्यर्थीयों ने जवाबी शपथ पत्र में पूरी तरह से नया रुख अपनाया है, जिसका प्रभाव यह है कि याचिकाकर्ता ने 3 मई, 2010 के आदेश को दबा दिया था। हमने ऊपर पाया है कि प्रत्यर्थी 3 मई, 2010 के आदेश को याचिकाकर्ता को सूचित करने में विफल रहे थे। उनसे उस बात का खुलासा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। किसी भी मामले में परीक्षा की योजना के अनुसार, प्रत्यर्थीयों को सेवा रिकॉर्ड की जांच करने की आवश्यकता थी क्योंकि उम्मीदवार के सेवा रिकॉर्ड की जांच परीक्षा प्रक्रिया का पहला चरण है। इसलिए बोझ पूरी तरह से उन पर होगा। अन्यथा भी, प्रत्यर्थीयों द्वारा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के अनुसार, हमें सूचित किया जाता है कि इसमें उम्मीदवार को "सजा/पुरस्कार, यदि कोई हो, का विवरण" देने की आवश्यकता होती है। प्रपत्र में उनके अवकाश खाते का खुलासा करने के लिए कोई कॉलम मौजूद नहीं है।

25. जिस आदेश के तहत याचिकाकर्ता की अवकाश को आकस्मिक अवकाश से अर्जित अवकाश में बदल दिया गया था और आधे दिन की अनुपस्थिति को आधे वेतन के रूप में माना गया था, उसे प्रत्यर्थीयों द्वारा सजा के रूप में नहीं माना गया था।

26. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, 3 मई, 2010 का आदेश इस हद तक यह याचिकाकर्ता की आकस्मिक अवकाश को रद्द कर देता है और निर्देश देता है कि इसे अर्जित अवकाश के रूप में माना जाना सतत नहीं और इसे पूरी अपास्त और रद्द दिया गया। उक्त अवधि को आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाएगा और छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता की अवकाश और सेवा रिकॉर्ड में उचित सुधार किए जाएंगे।

27. हम यह भी मानते हैं कि प्रत्यर्थीयों द्वारा 16 अप्रैल, 2010 को एक दिन के अवकाश को बिना वेतन और भत्ते के आधा वेतन मानने का निर्देश याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड के समान नहीं है। प्रत्यर्थीयों द्वारा इसे कभी भी ऐसा नहीं माना गया और यह सी.वि.प्र.परीक्षा-2012 के अनुसार याचिकाकर्ता की नियुक्ति में बाधा नहीं डाल सकता है जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया था या भविष्य में भाग ले सकता है।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थीयों को सितंबर, उप-निरीक्षक/जी. डी. के पद पर नियुक्ति के लिए 2012 में आयोजित सी.वि.प्र.परीक्षा में उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति के लिए उपरोक्त के आलोक में याचिकाकर्ता के

मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थीयों द्वारा उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

29. हम यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता अपनी योग्यता और परिणामी लाभों के आदेश के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता का हकदार होगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को उक्त परीक्षा में योग्यता के आदेश में उसके नीचे के व्यक्तियों से तुरंत ऊपर रखा जाएगा।

30. याचिकाकर्ता किसी भी पिछला वेतन या वेतन में बकाया का हकदार नहीं होगा।

इस रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत दी गई है।

सि.वि.17689/2012

31. रिट याचिका की अनुमति दिए जाने को देखते हुए, यह आवेदन न्याय निर्णय के लिए शेष नहीं रहता है और इसका निपटान किया जाता है।

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

(दीपा शर्मा)
न्यायाधीश

27 सितंबर, 2013
एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*